संख्या : ६४०/औ०वि०/०७-उद्योग/२००४-०५

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव, औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून दिनांकः ६/१० नवम्बर, २००४

विषयः निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में ३० एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify) /घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

कृपया उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा नये औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विनियमन/घोषित किये जाने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है -

प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विनियमन/घोषित किये जाने हेतु जहां पर चिन्हित क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान/क्षेत्र की भूमि निरन्तरता में ३० एकड़ से अधिक हो, को उद्योग संघों/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रुप में अधिसूचित/घोषित कर, चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेंगे।

१. निजी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम उस क्षेत्र के राजस्व ग्राम के नाम से तथा जिस औद्योगिक संघे/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, को फैसिलिटेटर के रूप में नामित करते हुये अधिसूचित किया जायेगा।

२. उद्योग संघों द्वारा प्रस्तावित निजी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग में उद्योग स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति, यदि १२.५ एकड़ से अधिक भूमि क्रय की जानी है, तो भू-संक्रमण का प्राधिकार, प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति, विद्युत तथा पानी की उपलब्धता, भवन कार्यशाला,

तलपट मानचित्रों की विहित प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदन इत्यादि प्राप्त करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग तथा उद्योग संघ फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे।

३. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक १० जून, २००३ में अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों की भूमि में से जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्तरांचल में दिनांक ३१ मार्च, २००४ से पूर्व भूमि क्रय कर उद्योग स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित/विनियमित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि ऐसी इकाईयों को विशेष पैकेज के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त हो सकें।

४. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नम्बरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की संस्तुति की जाती है।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव